



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, मंगलवार, 03 जून, 2025 ई०

ज्येष्ठ 13, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

गृह विभाग

संख्या:- 302452/HS-7/TELE/4/2024/E-77598

देहरादून: दिनांक 03 जून, 2025

अधिसूचना

प० आ०-44

चूंकि नीचे दी गयी अनुसूची में नामित, विस्तारित और वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोग सार्वजनिक प्रकार के प्रयोजनों के लिए अर्थात् पेट्रोलियम पदार्थों के शुद्धिकरण एवं विपणन के लिए किया जाता है;

और चूंकि, उससे सम्बन्धित जानकारी या उसका विनाश या उसमें बाधा या उसमें हस्तक्षेप शत्रु को उपयोगी होगा;

अतएव, अब राज्यपाल, भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या-का०आ०-2609(अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2014 सपठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का अधिनियम संख्यांक 19) की धारा 2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, नीचे दी गयी अनुसूची में नामित, विस्तारित और वर्णित भू-गृहादि को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करते हैं और अग्रेत्तर निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जन-भाषा में उस भू-गृहादि पर लगायी जायेगी।

अनुसूची“प्रतिषिद्ध स्थान” का नाम और उसकी विनिर्दिष्टियाँ

Petroleum Depot of M/s HPCL at Plot no. 6B & 6C in sector-1, phase-2, IIE, SIDCUI Sitarganj.

- पूरब में — भूखण्ड संख्या 6ए (मै0 इंडियन ऑयल लि0)
 पश्चिम में — भूखण्ड संख्या 3 व 6डी
 उत्तर में — 30 मीटर चौड़ी सड़क
 दक्षिण में — भूखण्ड संख्या 4 व 5

टिप्पणी:— उक्त भूमि का स्थल नक्शा (साईट प्लान) कलेक्टर/जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर के कार्यालय में हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
अपूर्वा पाण्डेय,
अपर सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the “Constitution of India” the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 302452/HS-7/TELE/04/2024/E-77598, Dehradun dated June 03, 2025 for general information:

No. 302452/HS-7/TELE/04/2024/E-77598,
Dated Dehradun, June 03, 2025

NOTIFICATION

Whereas the premises named, detailed and described in the Schedule given herein below is a place used for purposes of a public character namely for refining and marketing of petroleum product,

And whereas information with respect thereto, or the destruction or obstruction thereof, or interference therewith, would be useful to enemy;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause(d) of clause(8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act no. 19 of 1923) read with, notification no. S.O. 2609(E), dated 30 September 2014 of Ministry of Home Affairs, Government of India, the Governor is pleased to declare the premises named, detailed and described in the Schedule given herein below to be a “Prohibited Place” for the purpose of the said Act, and further directs that a copy of this notification in English and in the vernacular of the locality shall be affixed to that premises.

SCHEDULE

Name and specifications of the "Prohibited Place"

Petroleum Depot of M/s HPCL at Plot no. 6B & 6C in sector-1, phase-2, IIE, SIDCUL Sitarganj.

In East- Plot No. 6A, (M/s Indian Oil Ltd.)

In West- Plot No. 3 and 6D

In North- 30 Mt. Wide Road

In South- Plot No. 4 and 5

Note- A site plan of the land may be inspected by the interested person in the office the District Collector, Udham Singh Nagar.

By Order,

APURVA PANDEY,
Additional Secretary.